to confer rights on the consumers/ consumer associations to file complaints in the courts. In addition, to provide better protection to the consumers, a comprehensive consumer protection law, namely the Consumer Protection Act, 1986 has been enacted. The Act covers all goods and services unless exempted by the Central Government. It applies to private public and cooperative sectors. To promote and protect the rights of the consumers, the Act envisages establishment of Consumer Protection Councils in Centre and States. It also provides for a three-tier quasi-judicial machinery at national, state and district level for redressal of consumer grievances in matters of complaints relating to defective goods, defective services, excess prices charged over and above the statutory price or prices displayed on goods and unfair trade practices (other than the monopoly houses). States/UTs have been advised to strengthen and improve the Public Distribution System to ensure availability of essential commodities at reasonable prices to the consumers.

**पाकिस्तान द्वारा रावी नदी के किनारे एक नहर का निर्माण**

1404. **श्रीमती रेणुका चौधरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने हाल ही में भारत की उत्तरी सीमा पर बोथनवाला गांव से बुर्ज गांव तक रावी नदी के किनारे एक नहर का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस नहर के पानी से भारतीय भू-क्षेत्र को हानि पहुंच सकती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ उठाया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)** : (क) और (ख) पाकिस्तान में अजनाला क्षेत्र में घोगा गांव के दूसरी ओर रावी नदी के तल में एक कनेट अर्थात् एक छोटी नहर खोदने का कुछ कार्य आरम्भ किया गया है । सरकार द्वारा आवश्यक उपचारी कदम उठाये गये हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**Specification for Cement**

1405. SHRI SAGAR RAYKA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether there is any separate specifications for "Grey Portland Cement" by Bureau of Indian Standards and if so, the details thereof; and

(b) whether there is any separate specifications for "speciality Cement" or special purpose cements and if so, what are these specifications?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) and (b) No, Sir.

**देश में गो वध**

1406. **श्री रामसिंहभाई पातलियाभाई राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अवैध तरीकों से गो वध करने के बारे में दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा पंजाब और अन्य स्थानों से पत्र अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और 1 जनवरी, 1986 से 15 जुलाई, 1987 की अवधि के मध्य और प्रतिनिधि मण्डल भी सरकार से मिले हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की सूचना तथा पत्र प्राप्त हुए हैं कि

गायों को वध के लिये अवैध रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान हुई वारदातों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई और इस कार्य को करने वाले कितने व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस अवैध कार्य को रोकने के लिये क्या ठोस उपाय किये गये या किये जा रहे हैं ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा)** : (क) से (ङ) अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ गो-वध पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा कुछ प्रतिनिधि-मण्डलों ने प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री से मुलाकात की है । गो-पशुओं के संरक्षण का विषय एक ऐसा मामला है, जिसके संबंध में राज्य के विधान मण्डलों को विशिष्ट रूप से कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं और तदनुसार कई राज्य सरकारों ने गाय तथा इसकी सन्तति के वध को रोकने के संबंध में उपयुक्त कानून बनाये हैं । तथापि, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा कानूनों और तत्परता से लागू करने की सलाह देती रही है । ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि गायों को वध करने के प्रयोजन से एक राज्य से दूसरे राज्य में अवैध रूप से ले जाया जा रहा है ।

**गो-वध पर प्रतिबन्ध**

1407. **श्री रामसिंहभाई पातलियाभाई राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में गो वध पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाने के बारे में 1 जनवरी 1986 से 15 जुलाई 1987 की अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, विशिष्ट व्यक्तियों, संसद सदस्यों से प्रशंसा पत्र/अनुरोध पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या इस संबंध में प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री से कई प्रतिनिधि-मण्डल मिले हैं और देश भर में गो-वध पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाने के लिये कानून/नियम बनाने पर या अध्यादेश जारी करने के बारे में बातचीत हुई है ;

(ग) यदि हां तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या आवश्यक आश्वासन दिया गया है और उसे पूरा करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा)** : (क) से (घ) अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ गो-वध पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा कुछ प्रतिनिधि-मण्डलों ने प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री से मुलाकात की है । गो-पशुओं के संरक्षण का विषय एक ऐसा मामला है जिसके संबंध में राज्य के विधान मंडलों को विशिष्ट रूप से कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं और तदनुसार कई राज्य सरकारों ने गाय तथा इसकी सन्तति के वध को रोकने के संबंध में उपयुक्त कानून बनाये हैं तथापि भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा कानूनों को और तत्परता से लागू करने की सलाह देती रही है।

**Suspension of innocent officers of NCCF**

1408. SHRI T. CHANDRASEKHAR REDDY: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state: